Assignment
For
B. Com and
B.B.A
By Mr. Abhishek kumar
Dept of commerce and BBA
D. K. College Dumraon

Agreement (ठहराव)

* **Meaning :-**
जब दो व्यक्ति एक ही बात पर तथा एक ही अर्थ में सहमत होते है, तो इन दोनों के मध्य ठहराव का निमार्ण होता है।
यह उस समय होता है जब मस्तिष्क का किसी सामान्य उद्देश्य के लिए मिलन होता है।
दुसरे शब्दो में,
जब एक पक्षकार दुसरे पक्षकार के सामने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करता है एवं दुसरा पक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो यह ठहराव कहलाता है।
एक वैद्य ठहराव के लिए इसका राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होना अनिवार्य होता है।

* **Definations :-**

- **According to Pollock** :- "ठहराव एक विचार है जब दो व्यक्ति आपस मे मिलकर किसी कार्य को करने तथा न करने के लिए चिंतन करते है।"

- According to Prof. Leake, "ठहराव दो व्यक्तियों के मध्य होता है जो कि अनुबंध की विषय - वस्तु के संबंध में एकमत होते है।"

- According to Indian Contract Act 1872, ~~Sec 2(e)~~ Sec 2(E), "प्रत्येक वचन या वचनों का समूह जो एक-दुसरे का प्रतिफल हो, ठहराव कहलाता है। ठहराव का न्यायलय द्वारा मान्य होना आवश्यक है।"

- According to Chetty, "एक प्रस्ताव का स्वीकार किया जाना ठहराव का निर्माण करता है।"

→ Agreement ⇒ Proposal + Acceptance

* Characteristics of Agreement

ठहराव का लक्षण निम्न है:-

(i) एक ठहराव के लिए कम-से-कम दो पक्षकारो का होना आवश्यक है।

(ii) ठहराव के लिए दोनो पक्षकारों का एक ही बात पर एक ही विचार से सहमत होना आवश्यक है।

(iii) एक वैध समझौता तभी हो सकता है जब दोनों पक्षकार आपस में वैधानिक दायित्व उत्पन्न करें।

(iv) पक्षकारों को आपस में मानसिक स्वीकृति की रचना समझौते के रूप में आरंभ कर देनी चाहिए।

(v) ठहराव केवल संबंधित पक्षकारों को ही प्रभावित करता है अन्य पक्षकारों को नही।

* There are Many types of Agreement which are as follows:-

(1) On the basis of Enforceability
(2) On the basis of Legality
(3) On the basis of Performance
(4) On the basis of Method of formation
(5) Based on Completeness

(1.) On the basis of Enforceability :- प्रवर्तनीयता के आधार पर ठहराव को दो भागों में बाँटा गया है :-

(a) Agreement as a Contract
(b) Void Agreement

(a) ठहराव अनुबंध के रूप में → वह ठहराव जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय है, ठहराव अनुबंध कहलाता है।

(b) व्यर्थ ठहराव → वैसा ठहराव जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हो, व्यर्थ ठहराव कहलाता है।

(2.) On the basis of Legality :- वैधानिकता के आधार पर ठहराव को दो भागों में बाँटा गया है :—

(a) Legal Agreement
(b) Illegal Agreement

(a) वैधानिक ~~अनुबंध ठहराव~~ वैसा ठहराव जिसे वैधानिक रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है एवं जिसमें वैध ठहराव के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं, वैधानिक अनुबंध कहलाता है।

EXAMPLE :- A ने B को अपनी कार 70000रु में बेचने का अनुबंध किया

(b) अवैधानिक ठहराव ~~अनुबंध~~ → सभी अवैधानिक समझौता व्यर्थ होते है। समस्त अवैध ठहराव आवश्यक रूप से वैध होते है।

EXAMPLE :- A, B को C का मर्डर करने के लिए 50000 रु० देता है तो B यदि C का हत्या न करे तो A, B से राशी वापस पाने के लिए योग्य नही होगा।

(3) On the basis of Performance :- निष्पादन के आधार पर ठहराव दो भागों में विभाजित है :-

(a) Executed agreement
(b) Executory agreement

(a) निष्पादित ठहराव → जब ठहराव के सभी पक्षकार अपने - अपने दायित्वों को पुरा कर देते है एवं उनके पास कुछ भी करने का शेष नही बचता तो उसे निष्पादित ठहराव कहते है।

(b) निष्पादकीय ठहराव → जब दोनों पक्षकार या कोई एक पक्षकार अपने दायित्वों को पुरा नही किया हो किंतु भविष्य मे पुरा करने के वादा हो तो उसे निष्पादकीय ठहराव कहते है। यह दो प्रकार का होता है :-
(i) एकपक्षीय ठहराव (ii) द्विपक्षीय ठहराव

(iv) ~~Based on Method of formation~~ निर्माण के आधार पर ठहराव दो प्रकार के होते है :-

(i) एक पक्षीय ठहराव → यदि ठहराव के एक पक्षकार ने अपने दायित्वों को पुरा कर लिया है तो उसे एक-पक्षीय ठहराव कहते है।

(ii) द्विपक्षीय ठहराव → यदि दोनो पक्षकार अपने अपने दायित्वों का निष्पादन करते है तो उसे द्विपक्षीय ठहराव कहा जाता है।

(i) Based on Method of formation निर्माण के आधार पर ठहराव दो प्रकार के होते है :-

(a) Express agreement
(b) Implied agreement

(a) स्पष्ट ठहराव → इस तरह का ठहराव स्पष्ट रूप से लिखित तथा मौखिक रूप में होता है।

(b) गर्भित ठहराव → यदि पक्षकार ठहराव को लिखित अथवा मौखिक रूप से प्रस्तुत नही करते बल्कि ठहराव की शर्तें पक्षकार के विचार करने का ढंग व्यापारिक रीति-रिवाज एवं परिस्थिति इत्यादि के आधार पर जो ठहराव निर्मित होता है, उसे गार्भित ठहराव कहा जाता है।

(5) Based on Completeness :- पूर्णता के आधार पर ठहराव दो प्रकार के होते है :-

(a) Enforceable Agreement
(b) Unenforceable Agreement

(a) प्रवर्तनीय ठहराव → वैसा ठहराव जो न्यायलय की सभी शर्तों को पुरा करता है, तथा इसमें एक वैध अनुबंध के सभी लक्षण होते है।

(b) अप्रवर्तनीय ठहराव → अप्रवर्तनीय ठहराव के अंतर्गत वैसे ठहराव आते है जिसे राज्यनियम तो मान्यता देता है किंतु तकनीकी दोषों के कारण वे न्यायलय द्वारा लागु नही हो सकते है। यदि इस दोष को हटा दिया जाए तो ये प्रवर्तनीय हो सकता है।

सभी अनुबंध ठहराव है परंतु सभी ठहराव अनुबंध नही है।

उपयुक्त कथन ठहराव एवं अनुबंध में भेद करते है इसको स्पष्ट करने के लिए इसका अध्ययन दो रूपों में किया जा सकता है:-

(1) समस्त अनुबंध, ठहराव होता है:-

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2(H) के अनुसार, "अनुबंध एक ठहराव है जो राज्यनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है।"
किसी भी अनुबंध के लिए ठहराव का होना अत्यंत ही आवश्यक है, कोई भी अनुबंध

ठहराव पर आधारित होता है। जो वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय करने के लिए ठहराव में न्यारा (10) के अनुसार निम्न बातों का होना आवश्यक है :—

(i) दोनों पक्षों को अनुबंध ~~बनाने~~ कराने की क्षमता होनी चाहिए।

(ii) ठहराव के पक्षकारों को स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए।

(iii) ठहराव में एक निश्चित प्रतिफल का होना आवश्यक है।

(iv) ठहराव को विरोध उद्देश्य के साथ किया जाना चाहिए।

(v) ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नही होनी चाहिए।

(vi) यदि आवश्यक हो तो ठहराव लिखित प्रमाणित और पंजीकृत होनी चाहिए :— उपयुक्त कथन से स्पष्ट होता है कि ठहराव के वैधानिक होने की स्थिति में यह अनुबंध का रूप धारण कर सकता है। इसके विपरीत, यदि ठहराव में उपयुक्त बातों का आभाव हो, तो वह अनुबंध का रूप

धारण नही कर पाता। अतः यह कहा जा सकता है कि सभी अनुबंध ठहराव होते है।

② सभी ठहराव अनुबंध नही होते है:-

उपर्युक्त कथन का दुसरा भाग सभी ठहराव अनुबंध नही होते क्योंकि अनुबंध होने के लिए ठहराव का होना अनिवार्य है। किंतु, ठहराव होने के लिए अनुबंध का होना अनिवार्य नही होता है। अतः अनुबंध की तुलना में ठहराव क्षेत्र अधिक व्यापक होता है।

- According to Samuel Williston, "ठहराव एक तटस्थ शब्द है जो अनुबंध के लिए आवश्यक है। यह दोनो पक्षकारों के मत वैधानिक दायित्व को उत्पन्न करता है और उसे प्रवर्तनीय करने की कोशिश करता है।

केवल वही ठहराव अनुबंध होते है जो राज्य नियम द्वारा प्रवर्तनीय होते है। व्यवहार में कई ऐसे भी ठहराव होते है जो राज्यनियम द्वारा प्रवर्तनीय नही होते। अतः यह अनुबंध का रूप धारण नही कर पाते है क्योंकि इसका उद्देश्य पक्षकारों

के मात वैधानिक उत्तरदायित्व को उत्पन्न कर नही सकता। कुछ ठहराव ऐसे भी होते है जो केवल ठहराव ही रहते है अनुबंध का रूप धारण नही कर पाते है यह ठहराव निम्न है :—

(i) सामाजिक ठहराव
(ii) पारिवारिक ठहराव
(iii) बिना प्रतिफल के वैधानिक ठहराव
(iv) धार्मिक ठहराव
(v) नैतिक ठहराव
(vi) देहेज ठहराव
(vii) स्वतंत्र सहमति के अध्ययन में किए गए ठहराव

अनुबंध के प्रकार

अनुबंध को उसके व्यवहार के आधार पर निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :—

(I) वैधता के आधार पर :— वैधता के आधार पर अनुबंध को पाँचो वर्गों में बाँटा जाता है :—

(a) वैध अनुबंध → वैध अनुबंध से आशय ऐसे ठहराव से है जो अनुबंध अधिनियम

कि धारा 2(H) के तहत राज्य नियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है।
एक ठहराव के वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय होने के लिए अनुबंध अधिनियम की धारा (10) में कुछ लक्षणा का उल्लेख किया गया है कि जिसके द्वारा पुरा होने पर ही अनुबंध वैध होता है।

धारा (10) के अनुसार सभी ठहराव अनुबंध्य होते है यदि वे उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते है। जिसमें अनुबंध्य की क्षमता है एवं उसका वैधानिक प्रतिफल और न्यायचित उद्देश्य हो।

(b) व्यर्थ अनुबंध → जब किसी अनुबंध को किसी विशिष्ट कारणों के आधार पर वैधानिक रूप से चित नही कराया जा सकता है तो वह व्यर्थ अनुबंध कहलाता है। यह अधिनियम राज्यनियम द्वारा प्रवर्तनीय नही होता है। अनुबंध अधिनियम की धारा 2(J) के अनुसार होता है।

(c) व्यर्थनीय अनुबंध → व्यर्थनीय अनुबंध भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2(I) के अनुसार वैसा अनुबंध्य है जो एक तथा

एक से अधिक पक्षकारों की इच्छा पर प्रवर्तनीय होता है किंतु दूसरे पक्षकार या पक्षकारों के इच्छा पर नही व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है।

(d) अवैध अनुबंध → अवैध अनुबंध से आशय ऐसे अनुबंध से है जो स्वंय तो व्यर्थ होता ही है एवं साथ- में उसके व्यवहार भी निति विरुद्ध होते है। इस प्रकार के अनुबंध में अधि- -नियम की कोई मान्यता नही होता है। इसके अंतर्गत ऐसे अनुबंध सभी सम्मिलित होते है जो अव्यावहारिक, गैरकानूनी एवं अनिश्चित हो।

(e) अप्रवर्तनीय अनुबंध → अप्रवर्तनीय अनुबंध से आशय ऐसे अनुबंध से है जिसमें अनुबंध की सभी वैधानिक लक्षण पाए जाते है किंतु उसमें कुछ वैधानिक तकनीक दोषों के कारण प्रवर्तनीय नही कराया जा सकता है।

(III) निर्माण की विधि के आधार पर → निर्माण के आधार पर अनुबंध निम्न प्रकार के होते है :-

(a) स्पष्ट अनुबंध ⟶ जो अनुबंध सभी पक्षकारों द्वारा स्पष्ट रूप से लिखित एवं मौखिक रूप से किये जाते हैं।

(b) संयौगिक अनुबंध ⟶ किसी घटना के घटित होने या ना होने पर किसी कार्य को करने तथा ना करने का अनुबंध संयौगिक अनुबंध कहलाता है।

(III) निष्पादन के आधार पर :—

निष्पादन के आधार पर अनुबंध को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :—

(a) निष्पादित अनुबंध ⟶ जब किसी अनुबंध के सभी पक्षकार अपने दायित्व को पुरा कर चुके हो तो एवं कुछ करने का शेष ना हो उसे निष्पादित अनुबंध कहते हैं एवं उसे अपूर्ण भी कहा जाता है।

(b) निष्पादकिय अनुबंध ⟶ जब दोनों पक्षकार या कोई एक पक्षकार अपने दायित्वों को पुरा ना किया हो किंतु भविष्य में पुरा करने के योग्य हो, तो उसे निष्पादकीय अनुबंध कहते हैं।

यह ठहराव दो प्रकार का होता है।

(i) एकपक्षीय अनुबंध → यदि अनुबंध के एक पक्षकार ने अपने दायित्वों को पूरा कर लिया है तो उसे एकपक्षीय अनुबंध कहते हैं।

(ii) द्विपक्षीय अनुबंध → यदि दोनों पक्षकार अपने-अपने दायित्वों का निष्पादन कर लेते हैं तो उसे द्विपक्षीय अनुबंध कहा जाता है।